भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1698

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के स्तर को कम करना

1698. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के स्तर में वृद्धि हुई है;

(ख) देश के किन-किन राज्यों में जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के तत्व विद्यमान है;

(ग) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जल के प्रभाव को कम करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य हेतु इस मद में जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय पैमाने पर देश का भूजल गुणवत्ता डेटा तैयार करता है। ये अध्ययन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल में मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक आर्सेनिक और फ्लोराइड की उपस्थिति का संकेत देते हैं। 25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की सूचना मिली है और 27 राज्यों के 469 जिलों के कुछ हिस्सों में फ्लोराइड संदूषण पाया गया है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सूचित किया गया भूजल संदूषण ज्यादातर भूगर्भिक प्रकृति के है और पिछले कुछ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं।

(ख): वे राज्य जहां पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के तत्व मौजूद हैं, **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल प्रबंधन, जिसमें भूजल की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करना शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कई कदम भी उठाए गए हैं। उनमें से कुछ निम्न पैरा में दिए गए हैं।

i. सीजीडब्ल्यूबी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए सीमेंट सीलिंग तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग करके आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण कर रहा है और फ्लोराइड शमन में राज्य के विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

ii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू कर रहा है।

iii. भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। जेजेएम के तहत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता दी जाती है। चूंकि, सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप जलापूर्ति योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और शुरू करने में समय लग सकता है, विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसी बस्तियों में प्रत्येक घर को उनके पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पानी पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है।

iv. पेयजल और स्वच्छता विभाग ने दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) शुरू किया था, जिसे अब देश के 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

v. बिहार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने राज्य में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 13 जिलों के 50 ब्लाकों के कुछ हिस्से आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित हैं और 11 जिलों के 98 ब्लॉकों के कुछ हिस्से में फ्लोराइड पाया गया है।

(घ): भूजल संदूषण की समस्या को कम करने के लिए, भारत सरकार, वर्ष 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिशन अवधि के दौरान निर्धारित गुणवत्ता तथा **नियमित** और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, बिहार को राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14,001.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, इस मंत्रालय के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी के बिहार क्षेत्र को भूजल प्रबंधन और विनियमन (**जीडब्ल्यूएम** एंड आर) योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में 29.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत जलभृत मानचित्रण, भूजल स्तर और गुणवत्ता निगरानी, भूजल संसाधन मूल्यांकन आदि जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं, जो सुरक्षित और संभावित जलभृतों की पहचान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पिछले पांच वर्षों में बिहार में आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण पर आवंटित राशि में से, करीब 8.6 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक सुरक्षित कुओं का निर्माण, महसूस की गई आवश्यकता और स्थल की आवश्यकता के अनुसार है और इसलिए, इस संबंध में कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के स्तर को कम करना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 18.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1698 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आर्सेनिक प्रभावित राज्य (आंशिक रूप से प्रभावित): आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दमन और दीव, पश्चिम बंगाल, पुदुच्चेरी (**कुल 25 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)**।

फ्लोराइड प्रभावित राज्य (आंशिक रूप से प्रभावित): आंध्र प्रदेश, तेलंगाना , असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव **(कुल 27 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)**।

*****